

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2024/118

दिनांक : 18/03/2024

आदेश

श्री दिलीप कुमार, लैब टैक्नीशियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दादाई, खण्ड देसूरी जिला पाली जिनकी जन्म तिथि 10.10.1973 है एवं प्रथम नियुक्ति तिथि 31.07.1998 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अनुसरण में दिनांक 01.04.2024 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। श्री दिलीप कुमार, का दिनांक 01.04.2024 अकार्य दिवस होगा।

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 18/03/2024

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2024/118

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देसूरी (पाली)।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. श्री दिलीप कुमार, लैब टैक्नीशियन को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6073388

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-03-2024 08:01:16